



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126967

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 20195/2026

गुलसाबाद

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : त्रिपुरारी पाल

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिपुरारी पाल तथा उ.प्र. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत जमानत याचिका आवेदक की ओर से थाना-सहसवान, ज़िला-बदायूं के वाद संख्या 368/2025, बीएनएस की धारा 131, 115 (2), 352, 351 (3) और 105 के अंतर्गत, उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप हैं। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। इसी तरह के अभियुक्त, सादाब को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 127/2026 में दिनांक 24.04.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मृतक की चोट रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को 4 चोटें आई हैं। जिनमें से दो चोटें खरोंच की हैं और अन्य दो पुरानी थीं जो आधी ठीक हो चुकी थीं, और कोई अन्य चोट या सूजन का निशान नहीं था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रथम सूचना देने वाले की



- मृत्यु घटना के तीन दिन बाद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, मृतक की मृत्यु का कारण एंटीमॉर्टम तिल्ली की चोट के परिणामस्वरूप शॉक और रक्तस्राव पाया गया। अन्वेषण के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया। आवेदक का एक प्रकरण में आपराधिक पूर्ववृत्त है, जिसमें वह जमानत पर है। आवेदक 07.09.2025 से कारावास में बंद है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया।
 5. अपराध की प्रकृति, प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अभियुक्त की संलिप्तता, सजा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए प्रकरण बना लिया है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार किया जाता है।
 6. आवेदक-गुलसाबाद, जो उक्त प्रकरण में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
 - (i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को, उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
 - (iii) आवेदक को एक वचनपत्र दाखिल करना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के प्रकरण में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
 - (iv) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। युक्तियुक्त कारण के बिना



अनुपस्थित रहने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध IPC की धारा 229-A (तदनुरूपी धारा 269 बीएनएस) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द0प्र0सं0 (तदनुरूपी धारा 84 BNSS) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध धारा 174-A भा0द0सं0 (तदनुरूपी धारा 209 बीएनएस) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को (1) प्रकरण की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द0प्र0सं0 (तदनुरूपी धारा 351 बीएनएसएस) के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी त्रुटि को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत खारिज करने का आधार होगा।

11 जून, 2026

जीएसएस

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)